

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 08.02.2026 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:

- थाना रूरा पुलिस द्वारा मु0नं0-21192/23 धारा-341/323/504/506 भादवि0 से सम्बन्धित वारंटी अभियुक्त अजय कुमार पुत्र बलदेव उर्फ बलराम उम्र 30 वर्ष निवासी सरसी माझा पूर्व थाना रूरा जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना सट्टी पुलिस द्वारा अ0सं0-62/11 धारा-452/323/504/506 भादवि0 से सम्बन्धित वारंटी अभियुक्त साहरुन पुत्र हारुन निवासी सट्टी जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना राजपुर पुलिस द्वारा अ0सं0-10/2006 धारा-3/25 आयुध अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त विकास यादव पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम तैतना थाना गोदन जनपद दतिया मध्य प्रदेश उम्र करीब 26 वर्ष को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा अ0सं0-285/2015 धारा-307/302/420/467/468/471/417 भादवि0 व 3/25 आयुध अधिनियम से सम्बन्धित वारंटी अभियुक्त संजय उर्फ संजू पुत्र रामप्रकाश निवासी श्रीकापुरवा थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रनियां पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1. गुलशन पुत्र बृजकिशोर निवासी कैथावा थाना बेला जनपद औरैया उम्र 22 वर्ष, 2. अमन सिंह पुत्र लाल सिंह निवासी ग्राम त्रिलोकपुर थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर उम्र 20 वर्ष, के कब्जे से 05 पेटी कुल 225 क्वार्टर (45 लीटर) अवैध देशी शराब अनुमानित कीमत लगभग पच्चीस हजार रुपये बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 23/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 12 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना रूरा पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना रनियां पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना मूसानगर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना सट्टी पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना डेरापुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों व थाना शिवली पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया।